न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–112 / 2016

श्री नारायण शर्मा वगैरह...............................वादीगण

बनाम

हरि नारायण राय वगैरह...प्रतिवादीगण

02.05.24 अभिलेख आज दिनांक–24.04.2023 को दाखिल दो आवेदनों अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के द्वारा आवेदकगण 1–शम्भु राय, 2–श्याम नन्दन राय, 3–पिन्टु राय, 4–चन्द्रकला देवी, 5–तलवरी देवी, 6–संजय ठाकुर, 7–सूजित शर्मा, 8–मनीष कुमार की ओर से दाखिल आवेदन एवं उसके तत्संबंधित प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–07.08.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त दोनों आवेदनों में आवेदक सं0–1 से 4 ने स्वंय को वादी सं0–14 का विधिक उत्तराधिकारी बतलाते हुए तथा आवेदक सं0–5 से 8 ने स्वंय को वादी सं0–5 का विधिक उत्तराधिकारी बतलाते हुए उनकी कमशः मृत्यु पश्चात् वाद की जानकारी नहीं रहने के कारण विलंब से उपरोक्त आवेदन दाखिल करते हुए वाद में पक्षकार बनाए जाने तथा वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया है। इन दोनों आवेदनों के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन विधि एव तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा कालबाधा, अधित्यजन, मौनस्वीकृति एवं विबंधन के सिद्धांतों द्वारा बाधित है। वादीगणों की मृत्यु पश्चात् शेष वादीगणों द्वारा यदि आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रकिया नहीं की गई तो यह वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद के वादी सं0–5 एवं 14 की मृत्यु के संबंध में प्रतिवादी की कोई आपत्ति नहीं है तथा इन दोनों वादीगणों का प्रतिस्थापन ससमय नहीं किया जाना शेष वादीगणों की लापरवाही को प्रदर्शित करता है, परन्तु ये दोनों, चूँकि आवश्यक पक्षकार हैं तथा विवादित भूमि में उनका हित निहित हैं। अतः उनके विधिक वारिसानों को वर्तमान वाद में जोड़ा जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन के उद्देश्य से आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदकगणों द्वारा दाखिल आवेदन कमशः आवेदक सं0–1 से 4 द्वारा मो0 2000 /– रुपये तथा आवेदक सं0–5 से 8 द्वारा अलग से मो0 2000/– रुपये खर्च की राशि प्रतिवादी को अदा किए जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि संदर्भित आवेदकगणों द्वारा उपरोक्त खर्च की राशि अदा करने के पश्चात् वादपत्र में से उनके पूर्वज का नाम विलोपित करते हुए उनका नाम बतौर वादीगण जोड़ें।**

अभिलेख दिनांक– 04-07-2024 वास्ते प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–02.03.2024 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।